उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-67/2016/1764/92-2-16-34आरई/2007

लखनऊ:: दिनांक:: 20 अक्टूबर,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में तैनाती के दौरान निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि के स्थायी अग्रदाय/अस्थायी अग्रदाय का समायोजन न किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-04-2007 द्वारा श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री चतुर्वेदी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2007 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.06.2012 द्वारा श्री कमला शंकर चतुर्वेदी के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 23.07.2009 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में सिद्व पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.09.2009 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 01.08.2012 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री कमला शंकर चतुर्वेदी के विरूद्व पाया गया कि अपचारी अधिकारी के नाम खोले गये अस्थायी एवं स्थायी अग्रदाय की धनराशि रू0 3,95,479.22 एवं रू0 13,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 4,08,479.00 के समायोजन हेतु बाउचर प्रखण्ड में प्रस्तुत न कर उक्त धनराशियों का समायोजन न कराने हेतु अपचारी अधिकारी उत्तरदायी है। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड के प्रस्ताव पर पत्र दिनांक 20.07.2016 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

4- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09-09-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की है :-

" शासन द्वारा प्रस्तावित शास्ति ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में पडी अग्रिम प्रकीर्ण की धनराशि रू0 3,95,479.22 एवं रू0 13,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4,08,479.00 (रू0 चार लाख आठ हजार चार सौ उन्यासी मात्र) की वसूली श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन एवं ग्रेच्युटी से किये जाने और यदि उक्त देयकों से यह वसूली संभव न हो तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

5- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-04-2007 द्वारा श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-06-2012 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया है, में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

> " श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-जौनपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के नाम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गाजीपुर में पडी अग्रिम प्रकीर्ण की धनराशि रू0 3,95,479.22 एवं रू0 13,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 4,08,479.00 (रू0 चार लाख आठ हजार चार सौ उन्यासी मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री चतुर्वेदी के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-पेंशन एवं ग्रेच्युटी से की जाय, यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-67/2016/1764(1)/92-2-2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री कमला शंकर चतुर्वेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभि0विभाग,प्रखण्ड-गाजीपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1)ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-63/1/एडीसी/एस-12/2016-17 दिनांक 09-09-2016 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in